**भारत सरकार**

**ग्रामीण विकास मंत्रालय**

**ग्रामीण विकास विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2623**

**(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)**

**एफडीआर और पारंपरिक तकनीक से सड़कों का निर्माण**

**2623. श्री देवेश शाक्य:**
**श्री बाबू सिंह कुशवाहा:**
**श्री लालजी वर्मा:**
**सुश्री इकरा चौधरी:**
**श्रीमती रुचि वीरा:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक एटा (एटा एवं कासगंज जिले) और मुरादाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों का वर्ष-वार और बजट-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) और पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके बनाई गई सड़कों की संख्या कितनी है और ब्यौरा क्या है और ई-मार्ग पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार विगत दो वर्षों के दौरान निष्पादन मूल्यांकन में 80 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाली सड़कों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में त्रुटि दायित्व अवधि (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) के मानदंडों का उल्लंघन करने और पहली बारिश के बाद क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की निर्धारित समय के भीतर मरम्मत न किए जाने के कारण ई-मार्ग पोर्टल के माध्यम से किसी ठेकेदार का भुगतान रोका गया है या नोटिस दिया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और यूपीआरआरडीए द्वारा जिला स्तर पर ऐसे अत्यधिक यातायात वाले मार्गों की पहचान की गई है, जहां सड़कों की संरचनात्मक क्षमता से अधिक यातायात के कारण वे प्रायः क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**

**(श्री कमलेश पासवान)**

**(क)** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की शुरुआत भारत सरकार द्वारा पात्र संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से ग्रामीण संपर्कता प्रदान करने और देश भर में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई थी। वर्षों के दौरान, इस योजना का विस्तार विभिन्न घटकों के माध्यम से किया गया है, जिनमें पीएमजीएसवाई-II, आरसीपीएलडब्ल्यूईए, पीएमजीएसवाई-III और पीएमजीएसवाई-IV (सितंबर 2024 में वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए शुरू की गई) शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान उत्तर प्रदेश के एटा (एटा एवं कासगंज जनपद) तथा मुरादाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों (बिजनौर एवं मुरादाबाद जनपद) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| स्वीकृति वर्ष | निर्माण तकनीक | जिले का नाम | स्वीकृत सड़कें | स्वीकृत लंबाई (किमी) | स्वीकृत लागत (करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | पारंपरिक पद्धति | एटा | 18 | 116.51 | 70.32 |
| | | कासगंज | 5 | 38.60 | 23.66 |
| | | मुरादाबाद | 6 | 33.40 | 22.48 |
| | | बिजनौर | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) | एटा | 1 | 17.00 | 19.15 |
| | | कासगंज | 3 | 26.05 | 28.02 |
| **कुल** | | | **33** | **231.56** | **163.63** |

**(ख)** वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-III के अंतर्गत स्वीकृत कुल 40 सड़कों में से 4 सड़कें (लंबाई: 43.05 किमी, लागत: ₹47.17 करोड़) फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए स्वीकृत की गई थीं, जबकि 36 सड़कें (लंबाई: 234.41 किमी, लागत: ₹141.94 करोड़) पारंपरिक निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए स्वीकृत की गई थीं। इन सभी कार्यों का भौतिक रूप से निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा वर्तमान में ये अनुरक्षण अवधि में हैं।

विगत दो वर्षों के दौरान प्रदर्शन मूल्यांकन में 80 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाली पीएमजीएसवाई सड़कों का विवरण निम्नानुसार है:

**वित्त वर्ष 2024-25**

| **जिला** | **ई-मार्ग में रखरखाव के अधीन सड़कों की कुल संख्या** | **पीई में 80% से कम अंक प्राप्त करने वाली सड़कों की संख्या** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **कुल सड़कें** | **किए गए कुल निरीक्षण** | **निरीक्षणों की संख्या जिनमें पीई अंक 80 से कम हैं** |
| मुरादाबाद | 26 | 5 | 29 | 10 |
| कासगंज | 13 | 1 | 6 | 2 |
| एटा | 36 | 1 | 6 | 2 |

**वित्त वर्ष 2025-26**

| **जिला** | **ई-मार्ग में रखरखाव के अधीन सड़कों की कुल संख्या** | **पीई में 80% से कम अंक प्राप्त करने वाली सड़कों की संख्या** | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **कुल सड़कें** | **किए गए कुल निरीक्षण** | **निरीक्षणों की संख्या जिनमें पीई अंक 80 से कम हैं** |
| मुरादाबाद | 23 | 3 | 16 | 3 |
| कासगंज | 13 | 1 | 6 | 3 |
| एटा | 36 | 1 | 6 | 2 |

**नोट: ई-मार्ग निष्पादन निगरानी:** रखरखाव नीति के अंतर्गत, रखरखाव भुगतान सीधे ई-मार्ग पोर्टल पर निष्पादन मूल्यांकन (पीई) अंकों से जुड़े होते हैं। यदि किसी सड़क को 80% से कम अंक प्राप्त होते हैं, तो दोष सुधार होने तक रखरखाव भुगतान रोक दिया जाता है।

**(ग) एवं (घ)** ई-मार्ग पोर्टल के माध्यम से नोटिस ऑनलाइन जारी नहीं किए जाते हैं। ठेकेदार अपने स्वयं के लॉगिन आईडी के माध्यम से ई-मार्ग पोर्टल पर अपने भुगतान का ब्यौरा देख सकते हैं, जबकि रखरखाव न करने के संबंध में आधिकारिक नोटिस रखरखाव दिशानिर्देशों के अनुसार ऑफलाइन जारी किए जाते हैं।

- **जिलावार कार्रवाई का ब्यौरा:**

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- **जिला एटा:** दोष दायित्व अवधि मानदंडों के उल्लंघन के लिए पैकेज संख्या **यूपी21128, 21131, 21126, 21122 और 21124** के लिए भुगतान रोक दिया गया है।
- **जिला कासगंज:** इसके अतिरिक्त, सड़क का रखरखाव न किए जाने के कारण पैकेज संख्या **यूपी7413** के लिए भुगतान रोक दिया गया है, और ठेकेदार को ऑफलाइन नोटिस भी जारी किया गया है।
- **जिला मुरादाबाद:** मुरादाबाद जिले में कोई भुगतान नहीं रोका गया है।

**(ङ)** उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) या उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यूपीआरआरडीए) द्वारा किसी भी सड़क को उसकी संरचनात्मक अभिकल्प क्षमता से अधिक भारित के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है।

*****